फ़ैसिल दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा कैम्प-शिविर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान रामू राम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 172 / 2025
निर्णय दिनांक 26.06.2025

रामुराम पुत्र जीतूराम जाति कुम्हार निवासी गोगटिया बाघावतान तहसील तारानगर जिला चूरू।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।
2. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

3. उदाराम पुत्र जीतूराम जाति कुम्हार निवासी गोगटिया बाघावतान तहसील तारानगर जिल चूरू।

गौण अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि खसरा सं. 528/102 तादादी 0.1265 हैक्ट. (0.10 बीघा), खसरा संख्या 813 तादादी 6.4742 हैक्ट. रोही मौजा गोगटिया बाघावतान पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषिभूमि रही है जिसे प्रार्थी वर्तमान में भी अपे कब्जे उपयोग उपभोग में ले रहा है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त संपूर्ण कृषिभूमि प्रार्थी के भाई गौण अप्रार्थी उदाराम के नाम से दर्ज है जो गलत है। कृषिभूमि ख.नं. 528/102 तादादी 0.1265 हैक्ट. वाके रोही मौजा गोगटिया बाघावतान तहसील तारानगर जिला चूरू जो दिनांक 23.12.2011 तक प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है जिसके बाद दिनांक 23.12.2011 को प्रार्थी रामुराम ने अपने उक्त खसरे व हक हकुक की खातेदारी कृषिभूमि कुल तादादी 0.10 बीघा (दस विश्वा) में से 0.05 बीघा (पांच विश्वा) कृषिभूमि को अपने छोटे भाई गौण अप्रार्थी उदाराम के नाम जरिये उपहार नामा स्थानान्तरित कर दी थी। राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से दिनांक 30.12.2011 को गौण अप्रार्थी के पक्ष में गलत नामांतरण दर्ज कर दिया। राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी द्वारा अपने छोटे भाई गौण अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 23.12.2011 को किये गये कृषिभूमि ख.नं. 528/102 तादादी 0.1265 हैक्ट. (0.10 बीघा) वाके रोही मौजा गोगटिया बाघावतान तहसील तारानगर जिला चूरू में से 0.05 बीघा कृषिभूमि के उपहार नामा के अनुसार नामातंरण दर्ज नहीं कर प्रार्थी के उक्त खसरा नं. की सम्पूर्ण कृषिभूमि अप्रार्थी के पक्ष में नामांतरण कर दी जो गलत है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि खसरा नं. 528/102 तादादी 0.1265 हैक्ट. (0.10 बीघा) वाके रोही मौजा गोगटिया बाघावतान तहसील तारानगर जिला चूरू में प्रार्थी अपने भाई के पक्ष में किये गये उपहार नामा दिनांक 23.12.2011 के अनुसार अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की 0.05 बीघा कृषिभूमि का रिकॉर्ड पुनः कायम करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती का आदेश जारी करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का करणपुरा के मुताबिक प्रार्थी रामूराम पुत्र जीतूराम जाति कुम्हार निवासी गोगटिया बाघावतान की खातेदारी भूमि रोही ग्राम गोगटिया बाघावतान में ख. नं. 528/102 तादादी 0.1265 हैक्ट. नाम दर्ज थी जिसका उपहारनामा दिनांक 23.12.2011 को पंजीकृत हुआ उक्त उपहारनामा में प्रार्थी रामूराम पुत्र जीतूराम ने ख.नं. 528/102 तादादी 0.1265 हैक्ट. में से 1/2 हिस्सा भूमि का उपहार अपने सगे भाअ उदाराम पुत्र जीतूराम जाति कुम्हार निवासी गोगटिया बाघावतान के नाम कर दिया परन्तु नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का संपूर्ण हिस्सा उदाराम पुत्र जीतूराम के नाम दर्ज हो गया जो कि

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

लिपिकीय भूलवश हो गया। अतः उक्त नामांतकरण को शून्य कर ख.नं. 628/102 में प्रार्थी रामूराम पुत्र जीतूराम जाति कुम्हार निवासी गोगटिया बाघावतान का 1/2 (आधा) हिस्सा किया जाना उचित है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक जांच रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर एवं संलग्न दस्तावेज उपहारनामा दिनांक 23.12.2011 के अनुसार प्रार्थी का संपूर्ण हिस्सा गौण अप्रार्थी उदाराम पुत्र जीतूराम के दर्ज होना पाया गया जो कि गलत दर्ज हुआ है।

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा गोगटिया बाघावतान पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खसरा नं. 628/102 तादादी 0.1266 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी रामूराम पुत्र जीतूराम जाति कुम्हार निवासी गोगटिया बाघावतान का 1/2 (आधा) **हिस्सा** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/06/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)